भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *93

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

झूठे मामले दर्ज करने के विरुद्ध कार्रवाई

***93. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए झूठे मामले दर्ज करने वालों के विरुद्ध, अपराध को बार-बार दोहराए जाने की स्थिति में, संपूर्ण कानूनी व्यय की वसूली किए जाने तथा जुर्माना/सजा को दोगुना किए जाने जैसी सख्त कार्रवाई किए जाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे व्यक्तियों द्वारा अर्थदंड का भुगतान न किए जाने की स्थिति में कारावास अथवा सजा का प्रावधान किए जाने का है ; और

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं कि मामले दर्ज करने वाले व्यक्ति अपने व्यय का संपूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत करें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

"झूठे मामले दर्ज करने के विरुद्ध कार्रवाई" से संबंधित माननीय संसद सदस्य, श्री गोपाल चिन्नया शेट्टी, द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं0 †*93 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) से (घ) : जी नहीं । संविधान के उपबंधों के अधीन विधिक और संवैधानिक उपचारों की गारंटी दी गई है । सभी नागरिकों, और विशेष रुप से ऐसे सीमांत वर्ग, जो न्याय प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं, का निवारण के लिए न्यायालय जाना अधिकार है ।

किसी मामले में पक्षकारों की दलीलों के अनुसार, यह न्यायालय को विनिश्चित करना है कि क्या मामला/याचिका/मुकदमा चलने योग्य है या नहीं और क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर राहत स्वीकार्य है या नहीं । इसके अतिरिक्त, तुच्छ मुकदमों से निपटने के लिए कतिपय विधियां हैं । सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन, धारा 35क, मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के संबंध में प्रतिकर के रूप में लागतों के संदाय का उपबंध करती है । साथ ही, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 250 के अधीन, यदि न्यायालय को लगता है कि आरोप लगाने के लिए कोई उचित आधार नहीं है, तो न्यायालय को सीधे अभियुक्त को प्रतिकर के भुगतान का निर्देश देने का भी अधिकार है । इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 209 के अनुसार, जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से या किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभकारित करने के आशय से न्यायालय में कोई ऐसा दावा करेगा, जिसका मिथ्या होना वह जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा । माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने भी समय-समय पर अपने आदेशों/निर्णयों के माध्यम से तुच्छ मुकदमों/मिथ्या दावों पर रोक लगाने के लिए कतिपय मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं । न्यायालय इस बात से भी चिंतित हैं कि जनहित याचिकाओं के नाम पर तुच्छ याचिकाएं फाइल करके किसी भी व्यक्ति, संगठनों और संस्थानों द्वारा इसकी प्रक्रिया का दुरुपयोग न किया जाए । इसके अतिरिक्त, जनहित याचिका, अभिलेख न्यायालयों द्वारा घोषित विधि का शासन है । तथापि, याचिका फाइल करने वाले व्यक्ति (या अस्तित्व) को न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह साबित करना होगा कि याचिका जनहित में है और यह धन के लाभ के लिए लाया गया एक तुच्छ मुकदमा नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफल और अन्य, (2010) 3 एससीसी 402 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया था कि जनहित याचिका की शुद्धता और पवित्रता को परिरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित निदेश जारी करना अनिवार्य हो गया है :--

(क) न्यायालय को वास्तविक और सद्भावी जनहित याचिकाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और असंगत बातों के लिए फाइल की गई जनहित याचिका को प्रभावी रुप से निरुत्साहित करना चाहिए और उस पर रोक लगानी चाहिए ।

(ख) जनहित याचिका का निपटान करने के लिए, प्रत्येक व्यष्टिक न्यायाधीश द्वारा अपनी ही प्रक्रिया तैयार के स्थान पर, प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए यह समुचित होगा कि वह वास्तविक जनहित याचिका को प्रोत्साहित करने और परोक्ष उद्देश्यों के साथ फाइल की गई जनहित याचिका को हतोत्साहित करने हेतु उचित रूप से नियम बनाए । परिणामस्वरूप, हम अनुरोध करते हैं कि वे सभी उच्च न्यायालय, जिन्होंने अभी तक नियम नहीं बनाए हैं, उन्हें तीन मास के भीतर नियम बनाने चाहिए । प्रत्येक उच्च न्यायालय के महारजिस्ट्रार को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए नियमों की एक प्रति ठीक तत्पश्चात् इस न्यायालय के महासचिव को भेजी जाए ।

(ग) न्यायालयों को कोई जनहित याचिका ग्रहण करने से पूर्व याचिकाकर्ता के परिचय पत्र को प्रथम दृष्टया सत्यापित करना चाहिए ।

(घ) न्यायालय का प्रथम दृष्टया किसी जनहित याचिका को ग्रहण करने से पूर्व याचिका की अंतर्वस्तु की सत्यता के बारे में समाधान होना चाहिए ।

(ङ) न्यायालय का याचिका ग्रहण करने से पूर्व यह पूर्णतया समाधान होना चाहिए कि कोई सारवान जनहित अंतर्वलित है ।

(च) न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी याचिका को,जिसमें व्यापक जनहित, गंभीरता और अत्यावश्यकता अंतर्वलित है, अन्य याचिकाओं पर पूर्विकता दी जाए।

(छ) न्यायालयों को जनहित याचिका को ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जनहित याचिका का लक्ष्य वास्तविक लोक क्षति या जनहानि का निवारण करना है । न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जनहित याचिका फाइल करने के पीछे कोई वैयक्तिक अभिलाभ, निजी उद्देश्य या परोक्ष उद्देश्य तो नहीं है ।

(ज) न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यस्त निकायों द्वारा बाह्य और गुप्त उद्देश्यों के लिए फाइल की गई याचिकाओं को उदाहरणात्मक लागतों के अधिरोपण द्वारा या असंगत प्रतिफलों हेतु फाइल की गई याचिकाओं और तुच्छ याचिकाओं को रोकने के लिए उसी तरह की आदर्श पद्धतियों को अंगीकार करके निरुत्साहित करना चाहिए ।

सुब्रत रॉय सहारा बनाम भारत संघ और अन्य (2014) 8 एससीसी 470, में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि "भारतीय न्यायिक तंत्र तुच्छ याचिकाओं से बुरी तरह प्रभावित है । वादकारियों को, मूर्खतापूर्ण और गलत माने जाने वाले दावों के प्रति, उनकी बाध्यताकारी मनोग्रस्ति को रोकने के लिए, अर्थोपाय विकसित करने की आवश्यकता है । किसी व्यक्ति को यह बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में, प्रत्येक गैर–जिम्मेदार और निरर्थक दावे के कारण, दूसरी ओर कोई निर्दोष व्यक्ति पीड़ित होता है । वह मुक़द्दमा लंबित रहने के दौरान, उसकी ओर से कोई गलती न होने पर भी, व्याकुलता और बेचैनी के लंबे चिंताग्रस्त दौर से गुजरता है।"

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने 'चारू किशोर मेहता बनाम प्रकाश पटेल और अन्य, एसएलपी (सी) संख्या 11030/2022 में आदेश तारीख 22.06.2022 द्वारा बंबई उच्च न्यायालय के आदेश तारीख 13.06.2022 की पुष्टि की और कहा कि न्यायालय में तुच्छ मामले फाइल करना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है । न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी बनाए रखा, जिसमें याचिकाकर्ता पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया था और विशेष इजाजत याचिका खारिज कर दी थी ।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एच.एस. बेदी बनाम एनएचएआई (2016) (MANU/DE/0154/2016) मामले में, समुचित मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के अधीन अभियोजन प्रारंभ करने के लिए निचले न्यायालयों को मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक सेट जारी किया है । उच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायालयों की कार्रवाई करने की अनिच्छा से वादकारियों को मिथ्या प्रकथन करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है । भारतीय दंड संहिता की धारा 209, कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में मिथ्या दावा करने के अपराध के लिए दो वर्ष के कारावास का और जुर्माने का उपबंध करती है।

चूंकि, माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मिथ्या और तुच्छ मुकद्दमेबाजी पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करते रहे हैं, इसलिए, इस स्तर पर, केंद्रीय सरकार के स्तर पर आगे कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है ।

****